न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कोटपूतली (जयपुर)

पीठासीन अधिकारी :– डॉ. सत्यवीर यादव,
आर.ए.एस

अपील संख्या :– 88/2019

1. हनुमान पुत्र कालू
2. [illegible] पुत्र कालू
3. सूरजा पुत्र कालू

समस्त जातियान् जाट निवासी अजीतपुरा कंला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपीलान्ट

बनाम

तहसीलदार, कोटपूतली तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

अपील विरूद्व जांच कागजी जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा कंला सम्वत् 2046 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत साबिक खसरा नम्बर 65 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा अजीतपुरा कंला जिसके हाल खसरा नम्बर 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32, 161/0.31 वाके मौजा अजीतपुरा कंला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.)

दिनांक 09.7.20

निर्णय

तहसीलदार कोटपूतली द्वारा ग्राम अजीतपुरा के साबिक ख.नं. 65 रकबा 8 बिघा 10 बिस्वा जिसके हाल खसरा नम्बर 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32, 161/0.31 जमाबंदी सम्वत् 2046 जांच कागजी आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा अपील पेश की है जिसके अपीलान्ट द्वारा बिन्दुवार तथ्य निम्न भांति पेश किये है।

1. यह है कि साबिक खसरा नम्बर 65 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा अजीतपुरा कंला जिसके हाल खसरा नम्बर 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32, 161/0.31 वाके मौजा अजीतपुरा कंला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर बने है। उक्त आराजी में से अपीलान्ट ने हिस्सा 1/2 रोहिताश, रामावतार पुत्रान् फूसाराम अहीर निवासी पवाना तहसील कोटपूतली से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय–पत्र 20/7/1988 से खरीद कर काबिज है तथा मौके पर आज भी काबिज रहकर काबिज काश्त चला आ रहा है। उक्त आराजी खरीद के बाद अपीलान्ट के नाम नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 15/6/1989 को दर्ज हो चुका है।
2. यह है कि अपीलान्ट ने अपनी आराजी पर लोन वास्ते पटवारी से मिलकर जमाबंदी की नकल प्राप्त की तो पता चला कि जमाबंदी में उक्त आराजी महकमा कस्टोडियन दर्ज है जबकि अपीलान्ट के पूर्व खातेदारों से जमीन खरीद की जिनके नाम भी नामान्तकरण दर्ज हो गया था खातेदारी भी उप कृषक से कृषक दर्ज हो गयी थी। अपीलान्ट ने जमाबंदी में अपना नाम दर्ज करवाने हेतु तहसीलदार कोटपूतली को कहा गया तो जांच कागजी जमाबंदी अजीतपुरा कंला 2046 का हवाला देते हुए अपीलान्ट का नाम जमाबंदी में दर्ज करने से साफ मना कर दिया और कहां गया कि सक्षम न्यायालय में कार्यवाही करें।
3. यह है कि इससे पूर्व आराजीयात् बाबत पूर्व में जो भी नामान्तरकरण भरे गये है वो राजस्व कर्मचारी एवं ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किये गये है, जिसका अमल आज दिनांक तक जमाबंदी में नहीं हुआ। तहसीलदार कोटपूतली जांच दफ्तरी का हवाला देकर कस्डोयिन द्वारा खातेदारी हक मिलने का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक होना बताकर अमल रोका गया जबकि उक्त भूमि के विक्रय–पत्र सम्बन्धित कार्यालय से तस्दीक किये है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

4. यह है कि अपीलान्ट को जांच कागजी जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा कंला सम्वत् 2046 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत पूर्व में जानकारी नहीं थी । अपीलान्ट पटवारी हल्का से को पता चला कि उक्त आराजी महकमा कस्टोडियन दर्ज है जिस पर अपीलान्ट ने जांच कागजी जमाबंदी 2046 ग्राम अजीतपुरा की नकल प्राप्त की और बिना देरी किये अपना वकील नियुक्त कर श्रीमान् न्यायालय में अपील पेश की है फिर भी अपील पेश करने में हुयी देरी के लिए अलग से प्रार्थना–पत्र दफा–5 मियाद अधिनियम अपील के संलग्न पेश किया है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि जांच कागजी जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा कंला सम्वत् 2046 द्वारा तहसीलदार बाबत साबिक खसरा नम्बर 65 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा अजीतपुरा कंला जिसके हाल खसरा नम्बर 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32, 161/0.31 वाके मौजा अजीतपुरा कंला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर (राज.) को निरस्त किया जाकर हाल खसरा नम्बर 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32, 161/0.31 वाके मौजा अजीतपुरा कंला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के हिस्सा 1/2 में अपीलान्टस् का नाम जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान करें।

5. अपीलान्ट द्वारा जरिये वकील अपील पेश होने पर रिपोर्ट सरिस्ता करायी गयी, रिपोर्ट समात पायी जाने पर रेस्पोडेन्ट की तल्वी हेतु नियमानुसार तलबी नोटिस जारी हुए बाद तामील सम्मन नोटिस प्राप्त होने एवं रेस्पोडेन्ट की ओर से जवाब प्राप्त होने पर संलग्न पत्रावली किया गया ।

6. बहस वकील अपीलान्ट सुनी गयी। वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि ग्राम अजीतपुरा कंला के साबिक आराजी ख.नं. 65 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा से हाल खसरा नम्बर 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32, 161/0.31 वाके अजीतपुरा कंला तहसील कोटपूतली बने है। उक्त आराजी में से 1/2 हिस्सा जरिये विक्रय–पत्र 20/7/88 से रोहिताश रामावतार पुत्रान् फूसाराम जाति अहिर निवासी पवाना से खरीद कर काबिज काश्त चले आ रहे है तथा आज भी मौके पर काबिज काश्तकार है। उक्त खरीदशुदा भूमि का नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 15/6/1989 को दर्ज हो चुका है। किन्तु जमाबंदी में आज भी उक्त आराजी महकमा कस्टोडियन दर्ज रिकॉर्ड है। अपीलान्ट के पूर्व खातेदारी जिनसे जमीन खरीदी थी जिनके नाम भी उप कृषक से कृषक दर्ज होकर नामान्तरकरण संख्या 12 दर्ज हो गया था वो राजस्व कर्मचारी से भरा जाकर ग्राम पंचायत से तस्दीक किये गये है, जिसका अमल जमाबंदी मे नहीं हुआ कोटपूतली तहसीलदार द्वारा जांच कागजी सम्वत् 2046 वाके ग्राम अजीतपुरा कंला का हवाला देकर कस्टोडियन द्वारा खातेदारी हक मिलने का नामान्तरकरण ग्राम पंचायत से तस्दीक होना बताकर अमल रोका गया है। अपीलान्ट द्वारा जमाबंदी में अपना नाम दर्ज कराने हेतु तहसीलदार को निवेदन किया गया जो जांच कागजी जमाबंदी अजीतपुरा कंला सम्वत् 2046 का हवाला देते हुये अपीलान्ट का नाम जमाबंदी में दर्ज करने से मना कर दिया ।

नामान्तरकरण संख्या 11 जो कस्टोडियन पट्टे का है । तहसील कोटपूतली क्रमांक TRA/305 दिनांक 29/6/87 के द्वारा राजस्व कर्मचारियों से भरा जाकर ग्राम पंचायत से तस्दीक कराया है तथा नामान्तरकरण संख्या 12 विक्रय–पत्र का राजस्व कर्मचारियों से भरा जाकर ग्रा.पं. से तस्दीक कराया है तथा नामान्तरकरण संख्या 23 विक्रय–पत्र से रोहिताश रामावतार पिता फूसाराम के स्थान पर 1/2 हिस्से का नामान्तरकण दिनांक 15/6/89 को अपीलान्ट के नाम भरा गया है, जिसका राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में अमल नहीं हुआ है, जो तत्कालिन राजस्व कार्मिको की गलती से राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ है। तहसीलदार जांच कागजी सम्वत् 2046 में नामान्तरकरण संख्या 11 व 12 को ग्रा.पं. द्वारा तस्दीक होना बताया जाकर जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं रोक सकता क्योंकि नियमानुसार क्रमांक TRA/305 दिनांक 29/6/87 से पट्टा प्राप्त कर उप कृषक से खातेदारी का नामान्तरकरण संख्या 11 भरा गया है। उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार कोटपूतली से तस्दीक ना कराकर ग्रा.पं. से तस्दीक कराया है यह गलती तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों की है इसका खामियाजा काबिज खातेदार नहीं भुगत सकते है इसलिए जांच कागजी जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा कंला सम्वत् 2046 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत साबिक खसरा नम्बर 65 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा अजीतपुरा कंला जिसके हाल खसरा नम्बर 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32, 161/0.31 वाके मौजा अजीतपुरा कंला तहसील कोटपूतली को निरस्त किया जावें तथा हाल खसरा नम्बर 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32, 161/0.

(6)

जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

31 वाके मौजा अजीतपुरा कंला तहसील कोटपूतली जिला जयपुर के हिस्सा 1/2 में अपीलान्ट का नाम जमाबंदी राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करने के आदेश प्रदान करें।

7. रेस्पोडेन्ट पैरोकार सरकार द्वारा अपनी बहस में जवाब के बिन्दुओं को दोहराते हुये कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या 11 महकमा कस्डोडियन से खातेदारी प्रदान किये जाना वाला विधि सम्वत् स्वीकृत नहीं होने के कारण एवं विक्रय–पत्र विक्रेता के हिस्से से अधिक होने के कारण रिकॉर्ड मिलान के अभाव में उक्त नामान्तरकरण 11 से सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 12 व 23 का भी तत्कालीन राजस्व कर्मचारियों द्वारा अमल रोक दिया है। अतः रिकॉर्ड एवं साक्ष्य के आधार पर उचित आदेश प्रदान करें।

8. हमने उभयपक्षों की बहस सुनी । पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सबूत तथा पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया एवं उभयपक्षों द्वारा प्रस्तुत की गयी बहस पर मनन किया तो पाया कि नामान्तरकरण संख्या 23 विक्रय–पत्र से आ.ख.नं. 150, 159, 160, 161 रकबा 2.27 हैक्टर वाके ग्राम अजीतपुरा कंला का रोहिताश रामावतार पिता फूसाराम अहीर खातेदार सा. देह हिस्सा 1/2 बाकी बदस्तूर 1/2 जमाबंदी के स्थान पर हनुमान सूरजा बन्शी पिता कालू जाति जाट खातेदार सा. देह हिस्सा 1/2 बाकी बदस्तूर 1/2 जमाबंदी का राजस्व कर्मचारियों द्वारा दिनांक 15/6/89 को भरा गया है। हाल जमाबंदी 2070–2073 ग्राम अजीतपुरा कंला के अवलोकन से आ.ख.नं. 150, 159, 160, 161 कुल रकबा 2.27 हैक्टर महकमा कस्टोडियन काश्तकार लालू पुत्र कजोड हिस्सा 1/2 गंगू पुत्र मेदा हिस्सा 1/2 कौम जाट सा. देह उपकृषक राजस्व रिकॉर्ड जमाबंदी में दर्ज है इससे स्पष्ट होता है कि उक्त नामान्तरकरण संख्या 23 का राजस्व रिकॉर्ड में अमल नहीं हुआ है। वकील अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत बहस में अभिकथन किया कि उपरोक्त आराजीयात् पर अपीलान्ट द्वारा भूमि दिनांक 20/7/88 को खरीद कर काबिज काश्त चले आ रहे है, जिसका नामान्तरकरण संख्या 23 दिनांक 15/6/89 को दर्ज हो चुका है किन्तु जमाबंदी में आज भी उक्त आराजी महकमा कस्टोडियन दर्ज रिकॉर्ड चला आ रहा है। अपीलान्ट के पूर्व खातेदार जिनसे अपीलान्ट द्वारा जमीन क्रय की गयी थी जिनके नाम भी उपकृषक से कृषक दर्ज होकर नामान्तरकरण दर्ज हो गया था जिसका भी अमल जमाबंदी में नहीं हुआ। जांच कागजी जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा कंला सम्वत् 2046 में वर्णित किया है कि नामान्तरकरण संख्या 11 जो कस्टोडियन के पट्टे का है वह सरपंच द्वारा तस्दीक किया है वह तहसीलदार द्वारा तस्दीक होना चाहिए था इसलिए उसका अमल नहीं पकडा जावे तथा इससे सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 12 व 23 का भी अमल नहीं पकडा जावें, जबकि तहसील कार्यालय के क्रमांक TRA/305 दिनांक 29/6/87 से गंगू पूत मैदा कौमा जाट निवासी अजीतपुरा कंला द्वारा जरिये चालान संख्या 1641 दिनांक 6/8/79 को कुल राशि 466.92 (चार सौ छियासठ रूपये बानवे पैसे) जमा कराया जाना पाया जाता है। नामान्तरकरण संख्या 11 गंगू के वारिसान् के नाम हिस्सा 1/2 खातेदारी का भरा जाकर ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकार किया गया है। गंगू के वारिसान् के द्वारा 1/2 हिस्सा की भूमि का बेचान रोहिताश वगैरह को कर दिया गया जिसको भी नामान्तरकरण संख्या 12 ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 1987 को स्वीकार किया गया तथा रोहिताश वगैरह ने 1/2 हिस्सा की भूमि हनुमान वगैरह (अपीलान्ट) को बेचान कर दी गयी जिसका नामान्तरकरण संख्या 23 वाके ग्राम अजीतपुरा कंला का तहसीलदार कोटपूतली द्वारा स्वीकार करना पाया गया तथा जांच कागजी जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा कंला सम्वत् 2046 में तहसीलदार कोटपूतली द्वारा अंकन किया है कि नामान्तरकरण संख्या 11 जो कस्टोडियन पट्टे का है वह सरपंच द्वारा तस्दीक किया है जो कि वह तहसीलदार द्वारा तस्दीक होना चाहिए था इसलिए उसका अमल नहीं पकडा जावे एवं इससे सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 12 व 23 का भी अमल नहीं पकडा जावें । जबकि उक्त सभी नामान्तरकरण राजस्व कर्मचारियों द्वारा भरा गया है। नामान्तरकरण संख्या 11 राजस्व कर्मचारी द्वारा भरा जाकर ग्रा.पं. द्वारा स्वीकार कराया है इसका खामियाजा खातेदार नहीं भुगत सकता है। उनको उक्त नामान्तरकरण तहसीलदार द्वारा तस्दीक कराया जाना चाहिए था। राजस्व कर्मचारियों द्वारा नामान्तरकरण संख्या 12 भरा जाकर पुनः ग्रा.पं. द्वारा स्वीकार कराया है। इसमें खातेदार की गलती नहीं है। अपीलान्ट द्वारा जरिये विक्रय–पत्र से भूमि खरीद कर 1/2 हिस्से पर उक्त आराजीयात् पर काबिज काश्त है। अपीलान्ट से पूर्व इससे पूर्व काबिज काश्तकार द्वारा कस्टोडियन पट्टा हेतु नियमानुसार राशि जमा करायी है। राशि जमा होने पर उनको उपकृषक से कृषक खातेदारी के अधिकार प्राप्त हो जाने चाहिए थे किन्तु पट्टा राशि जमा होने के उपरान्त भी वर्तमान में महकमा कस्टोडियन उपकृषक भूमि राजस्व रिकॉर्ड में है। इस प्रकार जांच कागजी जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा कंला सम्वत्

जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner

2046 में नामान्तरकरण संख्या 11 का अमल नहीं पकडा जावे तथा इससे सम्बन्धित नामा.सं. 12 व 23 का भी अमल नहीं पकडा जावे के अंकन आदेश है वह आदेश विधि विरूद्ध है। जब पूर्व उपकृषक गंगू पुत्र मेदा द्वारा जरिये चालान से कस्टोडियन पट्टा हेतु नियमानुसार राशि जमा करायी है। उक्त राशि जमा करायी जाने के उपरान्त आज भी उक्त भूमि उपकृषक के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। यह न्यायोचित एवं विधि सम्मत नहीं है। नामा.सं. 11 व 12 तहसीलदार द्वारा स्वीकृत ना होकर सरपंच द्वारा स्वीकार हुआ है जिनको राजस्व कर्मचारियों द्वारा भरा गया है इसमें काबिज काश्तकार का क्या दोष है, जो गलती राजस्व कर्मचारियों की लापरवाही से हुयी है जिसका खामियाजा काश्तकार नहीं भुगत सकता । इसलिए जांच कागजी जमाबंदी ग्राम अजीतपुरा कंला 2046 तहसीलदार कोटपूतली द्वारा नामान्तरकरण संख्या 11 इससे सम्बन्धित नामान्तरकरण संख्या 12 व 23 पर अमल नहीं पकडे जाने बाबत आदेश/अंकन को अपास्त किया जाना उचित प्रतीत होता है तथा अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत की गयी अपील स्वीकार किया जाना न्यायोचित एवं विधी सम्मत है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर जांच कागजी जमाबंदी सम्वत् 2046 द्वारा तहसीलदार कोटपूतली बाबत साबिक ख.नं. 65 रकबा 8 बीघा 10 बिस्वा वाके मौजा अजीतपुरा कंला जिसके हाल खसरा नम्बर 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32 व 161/0.31 को निरस्त किया जाता है तथा अजीतपुरा कंला के हाल ख.नं. 150/0.58, 159/1.06, 160/0.32, 161/0.31 वाके मौजा अजीतपुरा कंला तहसील कोटपूतली के 1/2 हिस्से का अपीलान्ट के पक्ष में हुआ विक्रय-पत्र दिनांक 20/7/88 के अनुसार अपीलान्ट का नाम राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद करने के आदेश प्रदान किये जाते है।

10. निर्णय आज दिनांक 09.7.20 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

अति. जिला कलक्टर
कोटपूतली (जयपुर)

Scanned with CamScanner